APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

मैo इमोट रियल्टी बनाम संतोख

किस्म मुकदमा 53 नं. 148 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। वादी मैसर्स इमोट रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक रवि मूंदड पुत्र श्री मोहनलाल द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा खरीद शुदा आराजी ग्राम बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है। जिसके खसरा नं0 213/894 रकबा 1.3 है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.65 है0 को दिनांक 13.06.2025 को खरीद किया गया था और उक्त आराजी पर खरीद पश्चात वादी का कब्जा मालिकाना अधिकार चला आ रहा है। वादी उक्त आराजी में 1/2 हिस्से पर खसरा नम्बर 913/213 की तरफ काबिज काश्त है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका वर्तमान में विधिवत कोई बंटवारा नही हुआ है और वादी अपनी खरीदशुदा आराजी 1/2 हिस्से पर काबिज है। उक्त हिस्सा आराजी में वादी मोके पर कब्जे के अनुसार बंटवारा करवाकर 1/2 हिस्सा आराजी को पृथक पृथक खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की आराजी को पृथक–पृथक खाते दर्ज किया जावे। बाद तलबी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वर्तमान आराजी खसरा नं0 213/894 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा में स्थित हैं जिसमें हम खातेदारान अमरीक सिंह पुत्र रणजीत सिंह, गुरूदीप कौर पुत्री रणजीत सिंह, जसविन्दर कौर पुत्री रणजीत सिह, दलजीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह, सुरेन्द्र कौर पत्नी रणजीत सिंह प्रत्येक का 1/10 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी पर उपरोक्त खातेदार दर्ज रिकॉर्ड चले आ रहे है। जिसमें गुरूदीप कौर, जसविन्द कौर, दलजीत सिंह, सुरेन्द्र कौर ने एक मुख्तारनामा अमरीक सिंह के नाम आलेखित कर नोटरी पब्लिक प्रेम कुमार उप्पल से तस्दीक कराया हुआ है। जिसके अनुसार उक्त आराजी के संबंध में समस्त कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया है तथा उपरोक्त सभी खातेदारान जीवित है तथा उनके द्वारा मुख्तारनामा निरस्त नही करवाया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अर्जीदारों को आराजी खाता संख्या नया 213 के खसरा नं0 213/894 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा में उनके हक व हिस्से की भूमि 0.65 है0 213/895 की तरफ की दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। पत्रावली एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुख्तार आम की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि गुरूदीप कौर, जसविन्द कौर, दलजीत सिंह, सुरेन्द्र कौर ने एक मुख्तारनामा अमरीक सिंह के पक्ष में आलेखित कर उक्त आराजी के संबंध में समस्त कार्यवाही हेतु अमरीक सिंह को नियुक्त किया गया है। उभयपक्षकारान भूमि खसरा नं0 213/894 का मौके पर काबिज	

उपखण्ड अधिकारी कोटा
उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुसार विभाजन करवाये जाने हेतु सहमत है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर ग्राम बालिता पटवार हल्का सकतपुर तहसील लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नं0 213/894 रकबा 1.30 है0 भूमि का मौके पर काबिज अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजित की जाती है–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
मैसर्स इमोट रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक रवि मूंदड पुत्र श्री मोहनलाल	213/894	0.65	उत्तरी
1.अमरीक सिंह पुत्र रणजीत सिंह 2.गुरूदीप कौर पुत्री रणजीत सिह 3.जसविन्दर कौर पुत्री रणजीत सिह 4.दलजीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह 5.सुरेन्द्र कौर पत्नी रणजीत सिंह	213/894	0.65	दक्षिणी

अन्तिम डिक्री पर्चा अलग से तहरीर हो। विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक खाता अमलदरामद कर पृथक पृथक लगान कायम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान